

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(निमय 26)

1

ज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

हिण्डोली

सरकार बनाम दुर्गालाल माली निवासी रोणिजा

किस्म मुकदमा

17 A भू-राजस्व आवंटन नियम 1968 / प्रा0 पत्र / 2015

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24/3/15	यह प्रार्थना पत्र (प्रकरण) तहसीलदार हिण्डोली से अंतर्गत (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम 1968 के तहत जर्गे पत्रांक : टी.आर.ए./2015/151 दिनांक 2.3.15 से प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी को जर्गे नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 30/4/15 को पेश हो।	जासिकिया 30/8/15/15
30.4.15	पत्रावली पेश। पीअरीन अधिकारी ने व्यस्त हैं। वास्तो साबिक कार्यवाही दिनांक 11/6/15 को पेश है।	
11/6/15	प्रकरण दिनांक 18 मई से 35 जुलाई को प्रकरण को प्रमाणित करने हेतु प्रमाणित करने पर पत्रांक 28/7/15 को लोको अदालत में पेश हो।	
28/7/15	पत्रावली आज केम्प कोर्ट मुकाम हिण्डोली में वास्तो निर्णय हेतु पेश हुई। सरकार जर्गे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा उक्त प्रकरण आवंटनी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने से आवंटन शर्त का उल्लंघन पाये जाने से आवंटन निरस्त करने हेतु प्रकरण अंतर्गत नियम 17(A) राजस्व उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम 1968 के तहत तैयार	

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुकम
में जारी

कर इस न्यायालय में पेश किया
उक्त भूमि के संबंध में
पं० ए० से मोका एवं मजमे आम रिपोर्ट
ली गई। मुताबिक रिपोर्ट आवंटित
भूमि पर आवंटी का कब्जा न
होकर अन्व का कब्जा काश्त है।
हमने पत्रावली का अवलोकन
किया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड /
दस्तावेजात / मोका एवं मजमे आम रिपोर्ट
आदि का गहनता से अध्ययन किया
जिसमें जाहिर आया कि आवंटित भूमि
पर आवंटी का कब्जा न होकर अन्व
का कब्जा काश्त है। इस प्रकार
आवंटन शर्तों का उल्लंघन होना
पाया जाता है। अतः प्रापत्र स्वीकार
किया जाकर आवंटी दुर्गलाल आ
गंगाराम जाति माली नि० रोणीया
को वाके शुभ रोणीया में दिनांक
14/10/77 को ख० न० 1641, 1933/1344
कुल 4-02 बीघा भूमि का किया
गया आवंटन निरस्त किया जाता
है। तहसीलदार-दिवड़ीली को आदेशित
किया जाता है कि उक्त भूमि को
राजकीय सिवायक दर्ज किया जाकर
भूमि कब्जे राज ली जावे। मुताबिक
आदेश पालना हेतु T.O.R. को
तहरीर जारी है। निर्णय आज दि०
23/7/15 को केम कोर्ट मु० दिवड़ीली
में पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली
फैसल शुभर होकर दाखिल दफ्तर
है।

वशील

सुपरींड अफिकारी
दिवड़ीली (हकी)